सभापति महोदय, राष्ट्रीय कार्यक्रम के हिसाब से पशुपालन के लिए जो नियम बनाया गया है उसी का नार्थ-ईस्ट पर लागू कर दिया गया है। नार्थ-ईस्ट में आप अभी भी मुर्गी पालन, भेड़ पालन और बकरी पालन के लिए मदद देते हैं। किन्तु इनको पता होना चाहिए कि आसाम में, पूरे नार्थ-ईस्ट में अंडे आन्ध्र प्रदेश से जाते हैं। वहां आपका पोल्ट्री डेवलपमेंट टोटली फेल है। वहां के लिए अंडों और मछली की रिकवायरमेंट आन्ध्र प्रदेश से पूरी होती है।

दूसरी बात यह है कि आपने वहां पर राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम लागू किया हुआ है। आपको यह पता होना चाहिए कि वहां पर सांडों की नहीं मिथुन की जरूरत है। पूरे नार्थ-ईस्ट में मिथुन की जरूरत है क्योंकि वहां के लोग मिथुन का मांस खाते हैं। उसके उत्पादन के लिए आपने कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं बनाया है। इन सात नार्थ-ईस्ट स्टेटों में अगर कोई सबसे ज्यादा भोज्य पदार्थ है तो वह है मिथुन का मांस। इसके लिए आपको मिथुन का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने क्या कार्रवाई की है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, केन्द्र सरकार से किश्तों में राशि जाती है। और राज्य सरकार उसको खर्च कर लेती है। उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। उसकी छानबीन करके देख लेते हैं तब अगली राशि दी जाती है। इसलिए केन्द्र सरकार की राशि के घोटाले की सूचना केन्द्र सरकार को नहीं है। हम उस पर मुस्तैद और जागरूक हैं कि हमारा जो पैसा वहां जाये उसका समय पर सदुपयोग हो और खर्च होने के बाद ही अगली राशि उनको दी जाती है इसलिए घोटाला होने की बात ही नहीं है।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने अंडों और पोल्टरी डेवलपमेंट के बारे में पूछी है। यह सही है कि पूर्वांचल का क्षेत्र पोल्टरी के मामले में पीछे है और यह क्षेत्र अन्य मामलों में भी पीछे है। जिन राज्यों में पशुओं, पोल्टरी और एनीमल हसबेंडरी से संबंधित मामला है उस पर उनको तरजीह दी जाती है, उनको मदद दी जाती है। जहां लोग सूअर का मांस खाते हैं तो सूअर पालन के लिए उनको मदद दी जाती है और जहां मिथुन का मांस खाते हैं वहां मिथुन पालन के लिए मदद दी जाती है। इसके लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम के अन्तर्गत जो आंचलिक विषय है उसके लिए आंचलिक योजना और जो राष्ट्रीय विषय है उसके लिए राष्ट्रीय योजना बनाई जा रही है। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: मिथुन के लिए आंचलिक योजना कहां? ...(व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, दुनिया के मुल्कों की तुलना में अंडे की खपत अपने देश में प्रति व्यक्ति 30 अंडा प्रति वर्ष है जबकि दुनिया के देशों में प्रति वर्ष 80 अंडा है। लेकिन जो पिछड़े देश हैं उनकी खपत 60-70 अंडा है, जो विकसित देश हैं उनमें 300 अंडा प्रति वर्ष खपत है। इसलिए यहां अंडे का ज्यादा उत्पादन हो, इस मामले में दिन्दुस्तान का अंडा उत्पादन में पांचवां स्थान है। जो पिछड़े राज्य हैं, रीजनल इम्बेलेंस हैं उनके लिए विशेष योजना बनाकर उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Eloquent non-reply! Question No. 228.

Drives against anti-social elements at railway stations

*228. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether some drives against anti-social elements operating in railway stations at New Delhi, Delhi, Nizamuddin, Sabzi Mandi, Sarai Rohilla were undertaken by Special Task Force of Northern Railway in 1996;

(b) if so, the number of such elements arrested at each railway station in each quarter of 1996 besides pick-pockets; and

(c) whether such regular arrests made by periodical drives have made platforms of railways stations free from these anti-social elements?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1996 के दौरान दिल्ली क्षेत्र में समाज-विरोधी तत्वों के विरूद्ध अभियान चलाने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा कोई विशेष कार्य-बल गठित नहीं किया गया था। लेकिन वर्ष 1996 में दिल्ली रेलवे पुलिस द्वारा नई दिल्ली और दिल्ली मेन रेलवे स्टेशनों पर समाज-विरोधी तत्वों के विरूद्ध नियमित अभियान चलाए गए थे। उत्तर रेल ने भी अपनी ओर से बिना टिकट यात्रियों, अनधिकृत खोमचे वालों/वेंडरों तथा ऐसे ही अन्य तत्वों

के विरूद्ध वर्ष के दौरान नई दिल्ली, दिल्ली मेन, निजामुद्दीन, सब्जी मंडी और दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशनों पर नियमित अभियान चलाए।

जैसा कि आपको विदित है, रेल परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराधों की रोकथाम करना और उनका पता लगाना संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, जिसे वे अपनी राजकीय रेल पुलिस (रा. रे.पु.) के माध्यम से पूरा करती हैं। रेल प्रशासन इस संबंध में रा.रे.पु. को आवश्यक सहायता और सहयोग देता है और साथ ही रेलवे स्टेशनों पर सक्रिय अनधिकृत/समाज-विरोधी तत्वों के विरूद्ध रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमित जांच करता है/अभियान चलाता है।

जहां तक रेल पुलिस द्वारा समाज-विरोधी तत्वों के विरूद्ध चलाए गए अभियान का संबंध है, प्रत्येक तिमाही में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (स्टेशन-वार) की संख्या दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है।

अवधि	नई दिल्ली	दिल्ली मेन	जोड़
01.01.96-31.03.96	487	0	487
01.04.96-30.06.96	1267	0	1267
01.07.96-30.09.96	882	77	959
01.10.96-15.11.96	905	169	1074
जोड़	**3541**	**246**	**3787**

उत्तर रेल द्वारा बिना टिकट यात्रियों के विरूद्ध चलाए गए अभियानों के संबंध में, प्रत्येक तिमाही में पकड़े गए व्यक्तियों (स्टेशन-वार) तथा उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:—

अवधि	दिल्ली मेन	नई दिल्ली	निजामुद्दीन	सब्जी मंडी	दिल्ली सराय रोहिल्ला	जोड़	जेल भेजे गए	जिन पर जुर्माना किया गया	दोषमुक्त किए गए
01.01.96-31.03.96	35	25	22	3	1	86	10	1	75
01.04.96-30.06.96	27	23	12	6	0	68	8	0	60
01.07.96-30.09.96	29	23	12	0	0	64	6	0	58
01.10.96-15.11.96	27	20	7	2	0	56	5	0	51
जोड़	**118**	**91**	**53**	**11**	**1**	**274**	**29**	**1**	**244**

जहां तक रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत रेल सुरक्षा बल द्वारा-अनधिकृत वैंडरों/खोमचे वालों, आदि के विरूद्ध चलाए गए अभियानों का संबंध है, प्रत्येक तिमाही में पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या (स्टेशन-वार) तथा उन पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:—

अवधि	दिल्ली मेन	नई दिल्ली	निजामुद्दीन	सब्जी मंडी	दिल्ली सराय रोहिल्ला	जोड़	जेल भेजे गए	जिन पर जुर्माना किया गया	अन्य (जेल भेजे गए जिन पर मुकदमा चल रहा है, से भिन्न अपराधी)
01.01.96-31.03.96	1252	1349	138	65	17	2821	710	201	1910
01.04.96-30.06.96	514	516	66	32	81	1209	321	162	726
01.07.96-30.09.96	371	761	43	16	53	1244	334	107	803
01.10.96-15.11.96	105	158	19	29	28	339	117	43	179
जोड़	**2242**	**2784**	**266**	**142**	**179**	**5613**	**1482**	**513**	**3618**

(ग) दिल्ली रेलवे पुलिस और उत्तर रेल प्रशासन, दोनों द्वारा चलाए गए नियमित अभियानों/की गई जांचों के बावजूद, स्टेशनों को समाज-विरोधी तत्वों से पूर्णतया मुक्त रखना संभव नहीं हुआ है।

बहरहाल, खोमचे वालों, भिखारियों तथा समाज-विरोधी तत्वों के विरूद्ध संगठित अभियान चलाकर इस समस्या पर काबू पाने के लिए और उपाय किए जा रहे हैं। समस्या पर गारकर ढंग से काबू पाने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस और राजकीय रेलवे पुलिस का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ निकट संपर्क और समन्वय बनाए रखा जा रहा है।

SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: I would like to draw the attention of the hon. Minister to the number of acquittals and drives conducted against ticketless travellers by the Northern Railway. A statement showing the number of persons apprehended is here. It appears from the statement that the number of acquittals is more than the number of persons convicted. Will the Minister be pleased to state why the number of acquittals is more and whether it is due to the inefficiency of the prosecuting agency of the railways or it is due to some other reasons?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): सभापति जी, यदि आप देखेंगे तो मैंने जो प्रश्न का जवाब दिया है उसमें मैंने बतलाया है कि जहां तक रेलवे में ला एंड आर्डर का सवाल है और मैंने पहले भी सदन में बतलाया था कि ला एंड आर्डर का जो सवाल है, रेलवे में आर.पी.एफ. का काम है रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा करना और दूसरा जो मुद्दा होता है वह स्टेट पुलिस के अन्तर्गत होता है। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें ला एंड आर्डर का मामला जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं उनके अन्तर्गत राज्य की पुलिस, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो है, वह इसकी देखभाल करती है, जिसको जी.आर.पी. कहते हैं। जी.आर.पी., गवर्नमेंट रेलवे पुलिस पर रेलवे विभाग का कोई अधिकार नहीं रहता है। यदि हम चाहें, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन अधिकांश राज्यों में ऐसा होता है कि जिस कर्मचारी या अधिकारी को इनएफिसियेंट माना जाता है, उसको रेलवे पुलिस में भेज दिया जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको टाइट करें। अभी पिछले दिनों हमने डी.जी.पी. डाइरेक्टर जनरल आफ पुलिस, रेलवे पुलिस फोर्स के डी.जी. और रेलवे अधिकारियों, इन तीनों की बैठक दो दिनों के लिए बुलाई थी, कांफ्रेंस बुलाई है। हमने राज्य सरकारों को भी पत्र लिखा है, विभिन्न मुख्य मंत्रियों को भी पत्र लिखा है और इस बात का आग्रह किया है क्योंकि ला एंड आर्डर स्टेट का मामला है, इसलिए विभिन्न राज्य सरकारों को - रेलवे जो है वह 62 हजार किलोमीटर में इसकी लाइनें फैली हुई हैं कि रेलवे के लिए यह संभव ही नहीं है कि वह अपनी पुलिस या आर.पी.एफ. द्वारा उसकी रक्षा कर सके। वैसे भी आर.पी.एफ. के अधिकार क्षेत्र के बाहर की यह चीज है। इसलिए हम राज्य सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि जो ला एंड आर्डर का मामला है उस ला एंड आर्डर के मामले में वह सतत प्रगति करने का प्रयास करें।

SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: I am not satisfied with the reply given because my question was whether it was due to the inefficiency of the presecuting staff that it ended in a large number of acquittals. That was my question. Sir, in the reply it has been stated that despite the regular arrests/checks conducted by the Delhi Railway Police and the Northern Railway administration, it has not been possible to keep the stations completely free from anti-social elements. My second supplementary is whether it was due to the inadequacy of the measures taken by the railways. It is mentioned in the reply that despite regular drives/checks conducted by the Delhi Railway Police and the Northern Railway administration, it has not been possible to keep the stations completely free from anti-social elements. I would like to know whether it was due to inefficiency and lack of measures taken by the Railway administration.

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो पहला पूरक प्रश्न पूछा है उसमें मैंने जवाब दे दिया था कि इतने लोगों को जेल भेजा गया, इतनों पर जुर्माना किया गया और जो कोर्ट द्वारा छोड़ दिए गए हैं।

दूसरे प्रश्न में जो उन्होंने पूछा है मैंने पहले ही कहा है कि रेलवे का जो अधिकार क्षेत्र है वह बहुत ही सीमित है। लेकिन हम कोशिश करते हैं। हमारे जो आर.पी.एफ. के जवान हैं हम कोशिश करते हैं वह ट्रेनों में रहें। लेकिन ट्रेनों में रहने पर भी उनका काम ट्रेनों की सम्पत्ति वगैरह की रक्षा का काम करना है। जहां तक स्टेशन के परिसर का सवाल है, वह पूर्णरूपेण राज्य सरकार के अन्तर्गत आता है। यह जो स्टेट की रेलवे पुलिस होती है उसके ऊपर यह जिम्मेदारी आती है। हमने एक सजेशन दिया था लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी राज्य सरकार को वह मान्य होगा। हमने यह कहा था कि राज्यों की पुलिस जिसको

रेलवे में डिप्यूट किया जाता है, जब तक वह रेलवे में रहें तो कम से कम रेलवे के अधिकारियों को उनकी सी.आर. लिखने का अधिकार हो जाए। कम से कम वह लिख सकें कि इन अधिकारियों ने अच्छा काम किया है या गलत काम किया है। मैं यह नहीं कह सकता कि इस पर राज्य सरकारों की सहमति होगी या नहीं होगी। जब तक राज्य सरकारों के अंतर्गत लॉ एंड आर्डर है और हमारी राज्य सरकारों को इससे निपटना है, देखना है तो हम यह प्रयास कर रहे हैं और आग्रह कर रहे है कि वे अपनी मशीनरी को तेज़ करें।

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Mr. Minister, you have separate tribunals for railway claims and compensation. I would like to know whether there is any proposal to constitute special courts to deal with cases of theft and derailment. If there is any such proposal, I would further like to know whether you are contemplating appointment of special judges to investigate cases relating to derailment and thefts in the railways.

श्री राम विलास पासवान: अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: माननीय सभापति महोदय, यह सवाल तो पूछा गया है नई दिल्ली, दिल्ली, निज़ामुद्दीन, सब्जी मंडी, सराय रोहिल्ला आदि के बारे में लेकिन यह बातें सब स्टेशनों पर लागू होती हैं। सभी स्टेशनों पर चोरी, बटमारी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके साथ बहुत बड़ी संख्या में समाज विरोधी तत्व प्लेट फार्मों को अड्डे बनाते हैं, वहां पर रहते हैं। कभी-कभी कुली का नाटक खेलते हैं और गलत काम करते हैं, सामान लेकर भाग जाते हैं। यह जो हमारे प्लेट फार्म हैं, इन पर समाज विरोधी तत्व ज्यादा न टिक सकें, न रह सकें, इसके लिए क्या उपाय हैं, क्या योजना है आपके पास?

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, इसके लिए हम विशेष चेकिंग की व्यवस्था करते हैं। अभी पिछले दिनों हमने चेकिंग की थी। हमें यह शिकायत मिली थी कि पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशन पर बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो पाकिटमारी करते हैं और टिकटें भी ज्यादा खरीद कर लेते हैं कंप्यूटर में जा कर के और फिर ब्लैक में बेचने का काम भी करते हैं। इसके लिए हमारी जो रेलवे की हमारी अपनी विजिलेंस है, हम उसको लगाने का काम करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा उसका भी अधिकार क्षेत्र जो है, सीमित अधिकार क्षेत्र है। जहां तक पूर्णरूपेण असामाजिक तत्वों को प्रतिबंधित करना है, उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का काम है और उनको कैसे रोका जाए, यह सारे के सारे कार्य जिन राज्यों में रेलवे स्टेशन होता है, उन राज्य सरकारों के ऊपर इसकी जवाबदेही रहती है।

श्री राम गोपाल यादव: मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि राज्य सरकारें जो जी.आर.पी. में फोर्स को भेजती हैं वह भी ऐसी फोर्स होती है जिसको बहुत घटिया स्तर का समझा जाता है। यह बात पूरी तरह से सच है। जिनको मिस कंडक्ट लगा होता है या जिनकी सी.आर. में इंटेग्रिटी डाऊटफुल होती है, ज्यादातर ऐसे ही लोगों को सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के तौर पर भेजा जाता है। कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में मैं यह जानता हूं। यह लोग जब आते हैं तो फिर इनका धंधा हो जाता है जितने गलत काम करने वाले लोग हैं, रेलवे स्टेशन से लेकर रेल पर चलने वाले गलत काम करने वाले है, उनके माध्यम से यह लोग गड़बड़ी करवाना शुरू कर देते हैं। जो रक्षक हैं वही लोग चोरी करवाने लगें, वही जेबकतरी करवाने लगें, वही सामान उठवाने लगें तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के अधिकारियों से मिल कर या राज्य सरकार को कोई इस तरह का निर्देश दिलाने की कोशिश करेंगे जिससे वे ही पुलिस अधिकारी जी. आर.पी. में डिप्यूट किये जाएं जिनकी इंटेग्रिटी डाऊटफुल न हो, जिनके ऊपर मिस कंडक्ट का चार्ज न हो ऐसे लोगों को स्टेशन आफिसर का चार्ज दिलाने के काबिल समझा जाए? क्या इस तरह का कोई डायरेक्टिव राज्य सरकारों को देने की कोशिश करेंगे? या मिलकर परस्यू करने की कोशिश करेंगे अधिकारियों से कि सिर्फ अच्छे किस्म के अधिकारी ही जी.आर.पी. में भेजे जाएं ताकि ला एंड आर्डर स्टेशन पर और रेल के अंदर ठीक रह सके?

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूं और मैंने पहले लिखा है राज्य के मुख्य मंत्री को, और जैसा कि मैंने कहा कि बैठक भी बुलायी है। मैं फिर राज्य के मुख्य मंत्री को लिखूंगा कि रेलवे में जो कर्मचारी हों या रेलवे पुलिस में जो अधिकारी नियुक्त किए जाएं वे ऐसे नियुक्त किए जाएं जो काफी इफीशियंट हों और जिनको विजिलेंस, आई.बी. वगैरह की भी जानकारी हो कि कहां कोई घटना घट सकती है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। कभी-कभी तो मैं परेशान हो जाता हूं। कभी-कभी मैं सोचता हूं कि जी.आर.पी. रेलवे में नहीं रहे तो रेलवे की सुरक्षा ज्यादा हो जाएगी बनिस्बत उसके रहने से इतने हमको खतरे हो जाते हैं।